समाहरणालय हजारीबाग (कल्याण शाखा)

अल्पकालीन निविदा

हजारीबाग जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों यथा अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, बरसोत एवं अन्य पिछड़ी जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, हजारीबाग में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए सिला–सिलाया पोशाक, जूता–मोजा, ब्लेजर, स्वेटर, बेल्ट, टाई, स्कूल बैग, नाईट ड्रेस, स्पोर्ट ड्रेस, अंतः वस्त, स्लीपर/चप्पल आदि की आपूर्ति हेतु निविदा थोक एवं खुदरा निबंधित/पंजीकृत बिक्रेताओं से आमंत्रित की जाती है।

निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में दिनांक 25.07.17 को 1.00 बजे अपराह्न तक लिया जायगा तथा उसी दिन अपराहन 3.00 बजे क्रय समिति के द्वारा निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/– (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से Pledge संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का आयकर, बिक्रीकर पंजीकरण/जी0एस0टी0 निबंधन एवं पैन नंबर की छायाप्रति संलग्नकरना होगा ।
3. निविदादाता को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को आयकर एवं विक्रीकर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
5. सामग्री की आपूर्ति आवासीय विद्यालयों में पहुँचा कर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथलन व्यय देय नही होगा।
6. आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
7. स्वीकृत निविदित प्रतिष्ठान को 50 रूपये के नन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर एकरारनामा करना होगा।
8. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा एवं आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा। सामग्रियों के विपत्र के अनुसार भुगतेय राशि का आयकर एवं विक्री कर की राशि जमा करने के पश्चात ही भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा, अन्यथा कर की राशि कटौती कर ही भुगतान किया जायगा।
9. आपूर्ति किये जाने वाले सामाग्री का अलग–अलग नमूना जिला कल्याण कार्यालय, हजारीबाग एवं संबंधित विद्यालयों में जमा करना होगा तथा सामग्रियों की आपूर्ति अनुमोदित नमूने के अनुरूप करनी होगी।
10. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

ह0/
जिला कल्याण पदाधिकारी
हजारीबाग

पोशाक अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियॉः–

1. एक स्काई ब्लु हॉफ सर्ट एवं एक स्काई ब्लु फूल सर्ट विद्यालय के नाम का लोगो सिलाई किया हुआ। (वर्ग 1–5 के छात्र–छात्राओं के लिए)
2. एक नेभी ब्लु हॉफ पैन्ट एवं एक नेभी फूल पैन्ट (वर्ग 1–5 के छात्र–छात्राओं के लिए)
3. नेभी ब्लु स्कर्ट एवं नेभी ब्लु लेंगीज (वर्ग 1–5 के छात्रों के लिए)
4. नेभी ब्लु कुर्ता/जमफर, स्काई ब्लु सलवार एवं स्काई ब्लु दुपट्टा (वर्ग 6–10 के छात्राओं के लिए)
5. नेभी ब्लु ब्लेजर, नेभी ब्लु हॉफ स्वेटर गला पर स्काई ब्लु स्टीपस (वर्ग 1–10 छात्र–छात्राओं के लिए)
6. काला लेदर जूता एवं नेभी ब्लु मोजा (वर्ग 1–10 के छात्र–छात्राओं के लिए)
7. स्कूल बैग–तीन खण्ड का, वर्गवार साईज (वर्ग 1–10 के छात्र–छात्राओं के लिए)
8. स्पोर्ट ड्रेस– नेभी ब्लु पोलिस्टर फूल ट्रेक पैन्ट एवं V गला पोलिस्टर हॉफ टी–सर्ट नीला, पीला, लाल एवं हरा रंग का (वर्ग 1–10 के छात्र–छात्राओं के लिए)
9. नाईट ड्रेस– पैजामा एवं टी–सर्ट (वर्ग 1–10 के छात्र–छात्राओं के लिए)
10. अंतः वस्त्र– गंजी, जंघिया, पैंटी, समीज (वर्ग 1–10 छात्र–छात्राओं के लिए)
11. नेभी ब्लु बेल्ट–बोकलेस पर स्कूल का नाम, कल्याण विभाग, GOJ लिखा हुआ (वर्ग 1–5 के छात्र–छात्राओं के लिए)
12. नेभी ब्लु बैच–स्कूल का नाम, कल्याण विभाग, GOJ लिखा हुआ (वर्ग 6–10 के छात्राओं के लिए)
13. स्लीपर /चप्पल (वर्ग 1–10 के छात्र–छात्राओं के लिए)
14. टाई (वर्ग 1–10 के छात्र–छात्राओं के लिए)